**कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

पत्रांकः– 870 दिनांकः– 8/9/16

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **पलामू जिला में मेदिनीनगर वन प्रमंडल अन्तर्गत ग्राम हिसरा उर्फ पोखराहा में सरकारी पोलटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना हेतु 2.58 हे0 वन भूमि (जंगल–झाड़ी) अपयोजन का प्रस्ताव।**

प्रसंगः– आपका कार्यालय पत्रांक– 3209 दिनांक– 28.06.2016. एवं इस कार्यालय का पत्रांक– 719 दिनांक– 18.07.2016.

महाशय,

प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना हेतु इस कार्यालय द्वारा अग्रसारित प्रस्ताव पर कुल 5 बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी है। पृच्छा का निराकरण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू के पत्रांक– 2864 दिनांक– 29.08.16 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू के प्रतिवेदनानुसार आपके द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत हैः–

| क्र॰ | पृच्छा | अनुपालन |
|---|---|---|
| 1 | प्रस्ताव के पार्ट – II की कंडिका – 4 (i) में प्रस्तावित वनभूमि का वनस्पति घनत्व शून्य प्रविदित है, परन्तु पार्ट– II की कंडिका – 4 (i) में ही प्रस्तावित वनभूमि पर 43 वृक्ष अवस्थित होने की सूचना दी गई है। साथ ही प्रस्ताव के साथ संलग्न गणना सूची में कुल 44 वृक्ष प्रस्तावित भूमि पर अवस्थित होने की सूचना दी गई है। तदनुरूप वनस्पति घनत्व/गणना सूची में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। | प्रस्ताव के पार्ट – II में प्रस्तावित स्थल में अवस्थित वृक्षों की गणना सूची के आधार पर 44 वृक्ष अंकित किया गया है। |
| 2 | प्रस्ताव के पार्ट – II की कंडिका – 4 (i) में प्रस्तावित वन भूमि के Eco class -I में अवस्थित होने की सूचना दी गई है, जबकि यह संभवतः | प्रस्ताव के पार्ट – II की कंडिका – 4 (i) में प्रस्तावित वन भूमि के Eco class -I के स्थान पर Eco Class - |

| | | |
|---|---|---|
| | Eco class III में होगा। तद्नुरूप पार्ट – II की कंडिका – 4 (i) में सुधार आवश्यकता प्रतीत होती है। | III अंकित किया गया है। |
| 3 | पार्ट – II की कंडिका – 8 (iii) में प्रस्तावित वनभूमि इको सेंसिटिव जोन में अवस्थित नहीं है, परन्तु स्थरल निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रस्तावित वन भूमि की पलामू वन्यप्राणी आश्रयणी/बेतला राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित होने की सूचना दी गई है। यद्यपि Eco Sensitive Zone में अवस्थित है, परन्तु पार्ट – II में भी तदनुरूप सुधार आवश्यक है। | पार्ट – II की कंडिका – 3 में Eco-Sensitive Zone अंकित किया गया है तदनुसार प्रयोक्ता अभिकरण से National Board for Wild life से अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव समर्पित करने के लिए अनुरोध किया गया है। |
| 4 | प्रस्ताव के साथ मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक का मंतव्य संलग्न नहीं है। | इस कार्यालय के पत्रांक 719 दिनांक 18.07.16 द्वारा पूर्व में आपको भेज दी गयी है। |
| 5 | प्रस्ताव के साथ 1,50,000 के स्केल के टोपोशीट पर प्रस्तावित वनभूमि को चिन्हित करते हुए नक्शा संलग्न नहीं है, इसके स्थान पर 1:12:500 के स्केल पर DGPS दिखाते हुए नक्शा संलग्न है। प्रस्तावित वन भूमि को 1:50,000 के स्केल पर चिन्हित करते हुए नक्शा आवश्यक है। | प्रस्तावित भूमि को 1,50,000 के टोपो शीट पर प्रदर्शित करते हुए मानचित्र की तीन प्रति संलग्न। |

उपरोक्त निराकरण प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं। वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक– 08.10.14 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर सहमति प्राप्त कर ली गई है।

अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 2.58 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज– I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनु0 यथोक्त ।

विश्वासभाजन

8/9/16

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।